न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः जीसीएमएस नं. 2021/165

1. हनुमान पुत्र स्व. श्री रामनारायण,
2. राजेश पुत्र स्व. श्री रामनारायण समस्त जाति माली निवासी ग्राम नांगल जैसा बोहरा, तहसील व जिला जयपुर।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. लच्छी देवी पत्नी नानगाराम, जाति माली निवासी ढेहर का बालाजी चौमू रोड जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. नकुल गोयल पुत्र श्री विजेन्द्र गोयल जाति महाजन निवासी प्लॉट नम्बर 35, शिवनगर मुरलीपुरा स्कीम रोड़ नम्बर 1 मुरलीपुरा जयपुर।
4. मोहन पुत्र ईश्वर लाल,
5. शंकर लाल पुत्र ईश्वर लाल, समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 06.10.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर कतई गौर नही किया कि सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी आदेश जारी किया गया है उस पर अप्रार्थीगण के किसी भी प्रकार के कोइ हस्ताक्षर नही है उसके उपरान्त भी आधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो विधि विधान के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दु पर भी कतई गौर नही किया गया कि यदि किसी भी खातेदार द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराया जाता है तो पडौसी काश्तकारों को सीमाज्ञान हेतु सूचना आवश्यक रूप से दी जाती है परन्तु इसके सम्बन्ध में पत्रावली पर सीमाज्ञान भरी पडौसी काश्तकारों के सामने हुई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है, ना ही अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि खातेदारों द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया हो। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि सीमाज्ञान रिपोर्ट एकपक्षीय व मनमानी है जो रेस्पोडेनट संख्या 1 को बेजा लाभ पहुँचाने की गरज से बिना मौके पर नाप जोख किये ही केवल कागजों में ही सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसे रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का अवसर अपीलान्ट को प्रदान नही किया गया। यदि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलान्ट निवेदन करते कि खसरा नम्बर 1334/1925 रकबा 0.36 हैक्टयर भूमि गलत रूप से पैमाईश विभाग द्वारा दौराने पैमाईश अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1334 से कम करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते में अंकित कर दी गई है जिसका दावा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं खसरा नम्बर 1334/1925 पुनः अपीलान्ट के यहॉ अपील पेश की गई तथा अपील आंशिक मंजूर करते हुये दावा को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया गया है जो आज भी सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष सुनवाई हेतु विचाराधीन है, रेस्पोडेन्ट ने यह तथ्य छिपाते हुये पत्थरगढी के आदेश प्राप्त किये है इस कारण भी अपीलाधीन आदेश विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण को उक्त अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.06.2021 को जब नायब तहसीलदार रामपुरा डाबडी एवं राजस्व कर्मचारी भूमि पर आकर पत्थरगढी की कार्यवाही करने लगे तब हुई तो अपीलार्थीगण तुरन्त अपने अभिभाषक के पास आये एवं नकल हेतु आवेदन दिनांक 30.06.2021 को प्रस्तुत कर दिनांक 30.06.2021 को नकल तैयार कर दे दी गई जिस पर अपीलान्ट बिना किसी देरी के जानकारी से अन्दर मियाद उक्त अपील न्यायलाय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है तथा उक्त विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 को निरस्त फरमाया जवें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आराजी खसरा नम्बर 1333 व 1334/1925 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रत्येक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अपनी आराजी एवं फसलों की सुरक्षार्थ सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के कानूनी अधिकार एवं प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रदत्त किये हुए है। हस्तगत प्रकरण में सीमाज्ञान

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 14.06.2018 को किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडौसी खातेदारान को विधिवत नोटिस व सूचना दिया जाकर उभयपक्षों की उपस्थिति में सम्पादित कराने के आदेश दिये है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि कोई कब्जे काश्त का विवाद हो तो पत्थरगढी के दौरान भूम की बेदखली की कार्यवाही नही किये जाने के आदेश भी दिये गये है जिससे अपीलार्थी के किसी प्रकार के कोई हक हकूक प्रभावित नही होते है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2020 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।